# छठी आर्थिक गणना 2012-13
# के
# अन्तिम परिणाम

## उत्तर प्रदेश

# FINAL RESULTS
# OF
# SIXTH ECONOMIC CENSUS 2012-13
# UTTAR PRADESH


अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

**ECONOMICS & STATISTICS DIVISION,**
**STATE PLANNING INSTITUTE, PLANNING DEPARTMENT**
**UTTAR PRADESH, LUCKNOW**

**(Website:http://updes.up.nic.in)**

**मुकुल सिंहल**
आई०ए०एस०
प्रमुख सचिव

**नियोजन विभाग,**
उत्तर प्रदेश शासन।

# प्राक्कथन

आर्थिक गणना देश में गतिशील आर्थिक क्रियाकलापों सम्बन्धी जानकारी एकत्रित करने हेतु केन्द्र सरकार व राज्य सरकार का एक सामूहिक प्रयास है। इस व्यापक गणना कार्य को अर्थ एवं संख्या प्रभाग के निर्देशन में प्रदेश के समस्त जनपदों में निर्धारित ग्रामीण व नगरीय प्रगणन खण्डों में प्रशिक्षित प्रगणकों/पर्यवेक्षकों के माध्यम से सम्पन्न कराया गया।

यह अत्यन्त हर्ष एवं गौरव का विषय है कि अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा प्रदेश स्तर पर सम्पन्न छठी आर्थिक गणना 2012–13 के अन्तिम परिणाम तैयार कर जारी किये जा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के जनपदों में उद्यमों की संख्या तथा उनमें नियोजित कामग़ारों की संख्या, कार्यरत पुरुष व महिला उद्यमियों की संख्या के अतिरिक्त हस्तशिल्प/हथकरघा उद्यम से सम्बन्धित आँकड़ों का विश्लेषणात्मक तथ्य प्रदर्शित किये गये हैं।

छठी आर्थिक गणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य को ससमय सम्पादित किये जाने हेतु समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों सहित अर्थ एवं संख्या प्रभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के योगदान की सराहना करता हूँ। साथ ही इस गणना कार्य हेतु अपेक्षित सहयोग प्रदान किये जाने हेतु समस्त प्रदेश वासियों का आभार व्यक्त करता हूँ।

मुझे आशा है कि यह प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के नव उद्यमियों हेतु नीति निर्धारण, आर्थिक विकास को स्थायी नीति व दिशा प्रदान करने, योजनाओं को वैज्ञानिक आधार पर संरचना करने तथा नियोजन हेतु विश्वसनीय सांख्यिकी उपलब्ध कराने में उपयोगी सिद्ध होगा।

20.9.16.

**(मुकुल सिंहल)**
प्रमुख सचिव,
नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ
दिनांकः सितम्बर 20 ,2016

**गिरजा शंकर कटियार**
निदेशक

**अर्थ एवं संख्या प्रभाग,**
उ०प्र० लखनऊ।

# प्रस्तावना

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1977 में प्रथम बार आर्थिक गणना कराने का निर्णय लिया गया था। तत्पश्चात् वर्ष 1980, 1990, 1998 एवं 2005 में आर्थिक गणना करायी गयी। तत्क्रम में आर्थिक गणना 2012–13 छठी श्रृंखला है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुरूप देश के समस्त राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में राज्य स्तरीय सांख्यिकी विभाग को नोडल विभाग बनाकर आर्थिक गणना 2012–13 को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने का दायित्व सौंपा गया। तत्क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य में छठी आर्थिक गणना 2012–13 के सर्वेक्षण कार्य हेतु राज्य/जिला/चार्ज स्तर के सम्बद्ध अधिकारियों, पर्यवेक्षकों एवं प्रगणकों को प्रशिक्षित किया गया। आर्थिक गणना के 3,95,223 प्रगणन खण्डों में 1,25,917 प्रगणकों एवं 59,018 पर्यवेक्षकों तथा 1,598 चार्ज अधिकारियों द्वारा निर्धारित अनुसूचियों पर गणना कार्य माह जून–अगस्त, 2013 में पूर्ण कराया गया है। तदुपरान्त भारत सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों से अनुसूची 6A का संग्रहण तथा स्कैनिंग का कार्य मेसर्स एच०सी०एल० इन्फोसिस्टम लिमिटेड से कराकर अन्तिम परिणाम तैयार किये गये हैं, जिसमें जनपद वार आँकड़ों की आर्थिक गणना–2005 के आँकड़ों से तुलना के साथ–2 रा०प्र०स० 67वीं आवृत्ति के आँकड़ों तथा वार्षिक उद्योग सेंक्षण के आँकड़ों से की गयी है। प्रदेश के जनपदों में उद्यमों एवं रोजगारों की हुई वृद्धि के अनुसार उच्चतम 10 जनपद एवं निम्नतम 10 जनपदों को भी इंगित किया गया है।

छठी आर्थिक गणना 2012–13 की मुख्य विशेषतायें निम्नवत् हैः–

- भारत सरकार द्वारा सम्पन्न करायी गयी जनगणना–2011 हेतु बनाये गये जनपदवार प्रगणन खण्डों के आधार पर आर्थिक गणना 2012–13 का सर्वेक्षण कार्य कराया गया है।
- सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम–2008 के अन्तर्गत आँकड़ों का संग्रहण किया गया है।
- प्रथम बार हथकरघा/हस्तशिल्प सम्बन्धी उद्यमों एवं उनमें कार्यरत व्यक्तियों की गणना की गयी है।
- पांचवी आर्थिक गणना में 10 या उससे अधिक कार्यरत कामगार वाले उद्यमों की सूचना संग्रहीत करायी गयी थी जबकि छठी आर्थिक गणना में 08 या उससे अधिक कार्यरत कामगार वाले उद्यमों की सूचना का संग्रहण कराया गया है।

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों से प्राप्त बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन, सचिव/प्रमुख सचिव नियोजन, समस्त मण्डलायुक्त, जिलाधिकारियों एवं पूर्ववर्ती निदेशकों के मार्ग–निर्देशन एवं सहयोग से, आर्थिक गणना का सर्वेक्षण कार्य ससमय पूर्ण कराने में मिली सफलता के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ।

प्रभाग स्तर पर आर्थिक गणना सेल में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के अथक प्रयासों की सराहना के साथ ही समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारियों एवं उनके कार्यालय के आर्थिक गणना कार्य में लगे समस्त कर्मचारियों को, भारत सरकार एवं प्रभाग के निर्देशानुसार आर्थिक गणना के कार्य में लगे प्रगणकों/पर्यवेक्षकों एवं चार्ज अधिकारियों को अपेक्षित मार्ग–दर्शन एवं सहयोग देकर आर्थिक गणना का सर्वेक्षण तथा फीडिंग कार्य पूर्ण कराने के लिए धन्यवाद देता हूँ, जिससे प्रदेश स्तर पर अन्तिम रिपोर्ट तैयार की जा सकी है।

**(गिरजा शंकर कटियार)**
निदेशक
अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश

लखनऊ
दिनांकः सितम्बर 15, 2016

## छठी आर्थिक गणना 2012-13 के अन्तिम परिणाम

# अनुक्रमणिका


| क्र०सं० | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| | प्राक्कथन | i |
| | प्रस्तावना | ii |
| | छठी आर्थिक गणना 2012–13 के मुख्य निष्कर्ष | ix-xi |
| | छठी आर्थिक गणना 2012–13 के आँकड़ों का संक्षिप्त विवरण | xii |
| | **अध्याय–एक**<br>**भूमिका** | 1–13 |
| 1.01 | प्रथम आर्थिक गणना (1977) | 1 |
| 1.02 | द्वितीय आर्थिक गणना (1980) | 2 |
| 1.03 | तृतीय आर्थिक गणना (1990) | 2 |
| 1.04 | चतुर्थ आर्थिक गणना (1998) | 2 |
| 1.05 | पाँचवीं आर्थिक गणना (2005) | 2 |
| 1.06 | छठी आर्थिक गणना (2012–13) | 2 |
| | (अ) सम्पादन | 3 |
| | (ब) विषय क्षेत्र | 3 |
| 1.07 | उद्देश्य | 4 |
| 1.08 | आच्छादन | 4 |
| 1.09 | राज्य स्तरीय आर्थिक गणना स्टीयरिंग एण्ड मॉनीटरिंग कमेटी | 5 |
| 1.10 | जिला आर्थिक गणना समन्वय एवं अनुश्रवण समिति | 5 |
| 1.11 | आर्थिक गणना में पदाभिहीत अधिकारी | 5 |
| 1.12 | गत आर्थिक गणनाओं से छठी आर्थिक गणना 2012–13 में भिन्नता | 6 |
| | i. आच्छादन | 6 |
| | ii. अनुसूचियों में परिवर्तन | 6 |
| | iii. छठी आर्थिक गणना 2012– 13 में अनुसूची 6A में सम्मिलित किये गये नये मद | 7 |
| | iv. मकान एवं उद्यम अनुसूची 6A से हटाये गये मद | 7 |
| | v. उद्यमों की डायरेक्टरी अनुसूची 6C में बढ़ाये गये मद | 7 |
| 1.13 | अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन/निर्णय | 7 |
| 1.14 | प्रशिक्षण | 8 |
| 1.15 | आर्थिक गणना सेल | 10 |
| 1.16 | प्रचार एवं प्रसार | 10 |
| 1.17 | क्षेत्रीय संकार्य | 10 |
| 1.18 | ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रगणन खण्डों का निर्धारण तथा कार्मिकों की नियुक्ति | 11 |

| क्र०सं० | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1.19 | प्रयुक्त अनुसूचियाँ | 11 |
| 1.20 | आँकड़ों की गुणवत्ता | 11 |
| 1.21 | आँकड़ों का विधायन | 12 |
| 1.22 | आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण | 12 |
| 1.23 | छठी आर्थिक गणना 2012–13 के आँकड़ों का उपयोग | 12 |
| 1.24 | छठी आर्थिक गणना 2012–13 की सीमाएं | 13 |
| | **अध्याय–दो**<br>**गणना के निष्कर्ष – एक दृष्टि में** | 14–48 |
| 2.00 | परिणाम एक नजर में | 14 |
| 2.01 | प्रदेश में क्षेत्र और उपयोग के दृष्टिगत जनगणना मकानों / संरचनाओं की कुल संख्या | 14 |
| | **(अ) उद्यम** | |
| 2.02 | क्षेत्र के अनुसार प्रदेश में संचालित उद्यम | 15 |
| 2.03 | भारत में प्रदेश की हिस्सेदारी | 15 |
| 2.04 | परिसर की स्थिति के अनुसार उद्यम | 16 |
| 2.05 | उद्यम के प्रकार के अनुसार | 16 |
| 2.05.01 | स्व–कार्यरत उद्यम | 16 |
| 2.05.02 | भाड़े पर कार्यरत कम से कम एक व्यक्ति से संचालित उद्यम | 17 |
| 2.06 | वृहद गतिविधि के अनुसार उद्यम | 18 |
| 2.07 | स्वामित्व के प्रकार के अनुसार उद्यम | 19 |
| 2.07.01 | निजी (मालिकाना) स्वामित्व वाले उद्यमों के स्वामी के जेण्डर के अनुसार उद्यम | 20 |
| 2.07.02 | निजी (मालिकाना) स्वामित्व वाले उद्यमों के स्वामी के सामाजिक समूह के अनुसार उद्यम | 20 |
| 2.07.03 | निजी (मालिकाना) स्वामित्व वाले उद्यमों के स्वामी के धर्म के अनुसार उद्यम | 21 |
| 2.08 | परिचालन का स्वरूप के अनुसार उद्यम | 22 |
| 2.09 | वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत के अनुसार उद्यम | 23 |
| | **(ब) कामग़ार** | |
| 2.10 | क्षेत्र के अनुसार प्रदेश में संचालित उद्यमों में कार्यरत कामगार | 25 |
| 2.11 | भारत में प्राप्त उद्यमों में कार्यरत कामगारों में प्रदेश की हिस्सेदारी | 25 |
| 2.12 | उद्यम के प्रकार के अनुसार कामगार | 26 |
| 2.12.01 | स्व–कार्यरत संचालित उद्यमों में कार्यरत कामगार | 27 |
| 2.12.02 | भाड़े पर कार्यरत कम से कम एक व्यक्ति से संचालित उद्यमों में कार्यरत कामगार | 28 |
| 2.13 | स्वामित्व के प्रकार के अनुसार उद्यमों में कार्यरत कामगार | 28 |
| 2.13.01 | निजी (मालिकाना) स्वामित्व वाले उद्यमों के स्वामी के जेण्डर के अनुसार उद्यमों में कार्यरत कामगार | 30 |
| 2.13.02 | निजी (मालिकाना) स्वामित्व वाले उद्यमों के स्वामी के सामाजिक समूह के अनुसार उद्यमों में कार्यरत कामग़ार | 31 |
| 2.13.03 | निजी (मालिकाना) स्वामित्व वाले उद्यमों के स्वामी के धर्म के अनुसार उद्यमों में कार्यरत कामग़ार | 32 |
| 2.14 | परिचालन का स्वरूप के अनुसार उद्यमों में कार्यरत कामगार | 33 |
| 2.15 | वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत के अनुसार संचालित उद्यमों में कार्यरत कामगारों का वितरण | 34 |
| 2.16 | प्रमुख वृहद गतिविधि समूहों के अनुसार उद्यम | 36 |
| 2.17 | प्रमुख वृहद गतिविधि समूहों के अनुसार उद्यमों में कार्यरत कामगार | 38 |

| क्र०सं० | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 2.18.01 | रोज़गार आकार वर्ग के अनुसार कृषीय एवं गैर–कृषीय उद्यम | 38 |
| 2.18.02 | रोज़गार आकार वर्ग के अनुसार कृषीय एवं गैर–कृषीय उद्यमों में नियोजित कामग़ारों का विवरण | 40 |
| 2.19 | अन्तर जनपदीय तुलनात्मक अध्ययन | 41 |
| 2.19.01 | जनपद वार एवं क्षेत्र के अनुसार उद्यम एवं रोज़गार का वितरण | 41 |
| 2.19.02 | उद्यम के प्रकार के अनुसार उद्यम एवं रोज़गार | 48 |
| | **अध्याय–तीन**<br>**कृषीय उद्यम** | 51–88 |
| 3.01 | सामान्य | 51 |
| 3.02 | प्रदेश में कृषीय गतिविधियों में संचालित उद्यमों एवं उनमें नियोजित रोज़गार की स्थिति | 51 |
| 3.03 | वृहद गतिविधि वर्गीकरण के अनुसार कृषीय उद्यमों का वितरण | 53 |
| 3.04 | वृहद गतिविधि वर्गीकरण के अनुसार कृषीय उद्यमों में नियोजित रोज़गार का वितरण | 55 |
| 3.05 | परिसर की स्थिति के अनुसार कृषीय उद्यमों का वितरण | 56 |
| 3.06 | स्वामित्व का प्रकार के अनुसार कृषीय उद्यम | 57 |
| 3.06.01 | निजी (मालिकाना) स्वामित्व वाले उद्यमों के स्वामी के जेण्डर आधार पर कृषि उद्यम एवं रोज़गार की स्थिति | 59 |
| 3.06.02 | निजी (मालिकाना) स्वामित्व वाले उद्यमों के स्वामी के सामाजिक समूह के आधार पर कृषीय उद्यम एवं रोज़गार की स्थिति | 61 |
| 3.06.03 | निजी (मालिकाना) स्वामित्व वाले उद्यमों के उद्यम स्वामी के मालिक के धर्म के आधार पर कृषि उद्यम एवं रोज़गार की स्थिति | 63 |
| 3.07 | परिचालन का स्वरूप के अनुसार कृषि उद्यम एवं रोज़गार की स्थिति | 64 |
| 3.08.01 | वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत के अनुसार कृषीय उद्यम | 66 |
| 3.08.02 | वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत के अनुसार कृषीय उद्यमों में नियोजित कामग़ार | 67 |
| 3.09.01 | रोजगार आकार वर्ग के अनुसार कृषीय उद्यमों का वृहद गतिविधि वार वितरण | 68 |
| 3.09.02 | रोज़गार आकार वर्ग के अनुसार कृषीय उद्यमों में नियोजित कामग़ारों का वितरण | 69 |
| 3.10 | कृषीय उद्यमों में अन्तर जनपदीय तुलनात्मक विवरण | 71 |
| 3.10.01 | क्षेत्र और उद्यम के प्रकार के अनुसार कृषीय उद्यमों का जनपद वार वितरण | 71 |
| 3.10.02 | क्षेत्र और उद्यम के प्रकार के अनुसार कृषीय उद्यमों का जनपद वार प्रतिशत वितरण | 73 |
| 3.10.03 | वृहद गतिविधि के अनुसार कृषीय उद्यमों का जनपद वार वितरण | 76 |
| 3.10.04 | वृहद गतिविधि के अनुसार कृषीय उद्यमों का जनपद वार प्रतिशत वितरण | 78 |
| 3.10.05 | क्षेत्र और उद्यम के प्रकार के अनुसार कृषीय उद्यमों में रोजगार का जनपद वार वितरण | 81 |
| 3.10.06 | क्षेत्र और उद्यम के प्रकार के अनुसार कृषीय उद्यमों में रोजगार का जनपद वार प्रतिशत वितरण | 83 |
| 3.10.07 | वृहद गतिविधि के अनुसार कृषीय उद्यमों में रोजगार का जनपद वार वितरण | 86 |
| 3.10.08 | वृहद गतिविधि के अनुसार कृषीय उद्यमों में रोजगार का जनपद वार प्रतिशत वितरण | 88 |

| क्र०सं० | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| | **अध्याय–चार**<br>**गैर–कृषीय उद्यम** | 91–125 |
| 4.01 | व्याप्ति | 91 |
| 4.02 | प्रदेश में गैर–कृषीय गतिविधियों के अन्तर्गत संचालित उद्यमों एवं उनमें नियोजित रोज़गार की स्थिति | 92 |
| 4.03 | वृहद गतिविधि वर्गीकरण के अनुसार गैर–कृषीय उद्यमों का वितरण | 93 |
| 4.03.01 | वृहद गतिविधि वर्गीकरण के अन्तर्गत गैर–कृषीय स्व–कार्यरत संचालित उद्यम | 95 |
| 4.03.02 | वृहद गतिविधि वर्गीकरण के अन्तर्गत भाड़े पर कार्यरत कम से कम एक व्यक्ति से संचालित गैर–कृषीय उद्यम | 95 |
| 4.04 | वृहद गतिविधि वर्गीकरण के अनुसार गैर–कृषीय उद्यमों में रोज़गार का वितरण | 96 |
| 4.05.01 | प्रमुख गतिविधि समूहों के अन्तर्गत गैर–कृषीय स्व–कार्यरत संचालित उद्यमों में रोज़गार | 97 |
| 4.05.02 | प्रमुख गतिविधि समूहों के अन्तर्गत गैर–कृषीय उद्यमों में भाड़े पर कार्यरत कम से कम एक व्यक्ति से संचालित उद्यमों में रोज़गार | 97 |
| 4.06 | रोजगार दर (प्रति उद्यम औसत रोजगार) | 98 |
| 4.06.01 | स्व–कार्यरत संचालित उद्यमों में रोज़गार की दर | 98 |
| 4.06.02 | भाड़े पर कार्यरत कम से कम एक व्यक्ति से संचालित उद्यमों में रोज़गार की दर | 98 |
| 4.06.03 | प्रदेश में क्षेत्र एवं उद्यम के प्रकार के अनुसार प्रमुख गतिविधि वार रोजगार की दर (प्रति उद्यम औसत रोज़गार) | 99 |
| 4.07 | परिसर की स्थिति के अनुसार गैर–कृषीय उद्यमों का विवरण | 100 |
| 4.08 | स्वामित्व के प्रकार के अनुसार गैर–कृषीय उद्यम एवं रोज़गार | 101 |
| 4.08.01 | निजी (मालिकाना) स्वामित्व वाले उद्यमों के स्वामी के जेण्डर के आधार पर गैर–कृषीय उद्यम एवं रोज़गार की स्थिति | 104 |
| 4.08.02 | निजी (मालिकाना) स्वामित्व वाले उद्यमों के स्वामी के सामाजिक समूह के आधार पर गैर–कृषीय उद्यम एवं रोज़गार की स्थिति | 107 |
| 4.08.03 | निजी (मालिकाना) स्वामित्व वाले उद्यमों के स्वामी के धर्म के आधार पर गैर–कृषीय उद्यम एवं रोज़गार की स्थिति | 109 |
| 4.09 | परिचालन का स्वरूप के अनुसार गैर–कृषीय उद्यम एवं रोज़गार की स्थिति | 111 |
| 4.10.01 | वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत के अनुसार गैर–कृषीय उद्यम | 113 |
| 4.10.02 | वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत के अनुसार गैर–कृषीय उद्यमों में नियोजित कामगार | 114 |
| 4.11.01 | रोज़गार आकार वर्ग के अनुसार गैर–कृषीय उद्यमों का वृहद गतिविधि वार वितरण | 115 |
| 4.11.02 | रोज़गार आकार वर्ग के अनुसार गैर–कृषीय उद्यमों में नियोजित कामगारों का वृहद गतिविधि वार वितरण | 116 |
| 4.12 | गैर–कृषीय उद्यमों में अन्तर जनपदीय तुलनात्मक विवरण | 118 |
| 4.12.01 | क्षेत्र और उद्यम के प्रकार के अनुसार गैर–कृषीय उद्यमों का जनपद वार वितरण | 119 |

| क्र०सं० | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 4.12.02 | क्षेत्र और उद्यम के प्रकार के अनुसार गैर–कृषीय उद्यमों का जनपद वार प्रतिशत वितरण | 121 |
| 4.12.03 | क्षेत्र और उद्यम के प्रकार के अनुसार गैर–कृषीय उद्यमों में कार्यरत व्यक्तियों का जनपद वार वितरण | 123 |
| 4.12.04 | क्षेत्र और उद्यम के प्रकार के अनुसार गैर–कृषीय उद्यमों में कार्यरत व्यक्तियों का जनपद वार प्रतिशत वितरण | 125 |
| | **अध्याय–पांच**<br>**हस्तशिल्प/हथकरघा उद्यम** | 127–162 |
| 5.01 | सामान्य | 127 |
| 5.02 | हस्तशिल्प/हथकरघा गतिविधि की परिभाषा | 127 |
| 5.03 | उद्यम के प्रकार के अनुसार हस्तशिल्प/हथकरघा उद्यमों का वितरण | 127 |
| 5.04 | उद्यम के प्रकार के अनुसार संचालित हस्तशिल्प/हथकरघा उद्यमों में कार्यरत कामग़ारों का वितरण | 131 |
| 5.05 | स्वामित्व के प्रकार के अनुसार हस्तशिल्प/हथकरघा उद्यम | 134 |
| 5.05.01 | निजी (मालिकाना) स्वामित्व वाले उद्यमों के स्वामी के जेण्डर आधार पर हस्तशिल्प/हथकरघा उद्यम एवं रोज़गार की स्थिति | 139 |
| 5.05.02 | निजी (मालिकाना) स्वामित्व वाले उद्यमों के स्वामी के सामाजिक समूह अनुसार हस्तशिल्प/हथकरघा उद्यम एवं रोज़गार की स्थिति | 144 |
| 5.05.03 | निजी (मालिकाना) स्वामित्व वाले उद्यमों के स्वामी के मालिक के धर्म के अनुसार हस्तशिल्प/हथकरघा उद्यम एवं रोज़गार की स्थिति | 149 |
| 5.06 | परिचालन का स्वरूप के अनुसार हस्तशिल्प/हथकरघा उद्यम एवं रोज़गार की स्थिति | 154 |
| 5.07 | वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत के अनुसार हस्तशिल्प/हथकरघा उद्यमों का जनपद वार वितरण | 159 |
| 5.08 | वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत के अनुसार हस्तशिल्प/हथकरघा उद्यमों में नियोजित व्यक्तियों की संख्या का जनपद वार वितरण | 162 |
| | **अध्याय–छः**<br>**महिला उद्यमी** | 165–195 |
| 6.01 | प्रस्तावना | 165 |
| 6.02 | उद्यम के प्रकार के अनुसार महिला उद्यमियों के स्वामित्व में संचालित उद्यमों का वितरण | 170 |
| 6.03 | उद्यम के प्रकार के अनुसार महिला उद्यमियों के स्वामित्व में संचालित उद्यमों में रोज़गार का वितरण | 172 |
| 6.04.01 | महिला उद्यमियों के स्वामित्व में संचालित उद्यमों के स्वामी के सामाजिक समूह के अनुसार उद्यम एवं रोज़गार | 178 |
| 6.04.02 | महिला उद्यमियों के स्वामित्व में संचालित उद्यमों के स्वामी के धर्म के अनुसार उद्यम एवं रोज़गार | 184 |
| 6.05 | परिचालन का स्वरूप के अनुसार महिला उद्यमियों के स्वामित्व में संचालित उद्यम एवं रोज़गार की स्थिति | 190 |
| 6.06 | वित्त पोषण के स्रोत के अनुसार महिला उद्यमियों के स्वामित्व में संचालित उद्यम एवं रोज़गार की स्थिति | 195 |

| क्र०सं० | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| | **अध्याय–सात**<br>**पाँचवीं आर्थिक गणना 2005 और छठी आर्थिक गणना 2013 के परिणामों से तुलना** | 201–214 |
| 7.01 | उद्यमों और रोज़गार की वृद्धि | 201 |
| 7.02 | पाँचवी (2005) एवं छठी आर्थिक गणना (2013) के मध्य उद्यमों और रोज़गार की वृद्धि दर | 201 |
| 7.03 | कृषीय उद्यम | 208 |
| 7.04 | गैर–कृषीय उद्यम | 208 |
| 7.05 | प्रति उद्यम औसत रोज़गार | 209 |
| 7.06 | रोज़गार आकार वर्ग के अनुसार उद्यम | 210 |
| 7.07 | प्रदेश में सम्पन्न करायी गयी आर्थिक गणना 1990, 1998, 2005 एवं 2013 के अनुसार उद्यम एवं रोजगारों में पायी गयी क्रमिक वृद्धि की प्रवृत्ति | 210 |
| 7.08 | जनसंख्या और क्षेत्रफल के साथ जनपद वार उद्यमों का अनुपात | 212 |
| 7.09 | विभिन्न स्रोतों से उद्यमों एवं उनमें संलिप्त कामग़ारों की संख्या के उपलब्ध अनुमानों के आधार पर छठी आर्थिक गणना 2012–13 से प्राप्त आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण | 214 |
| | **अध्याय–आठ**<br>**आर्थिक संभाग वार : एक परिदृश्य** | 217–220 |
| 8.01 | आर्थिक संभागवार उद्यम एवं रोज़गार का प्रतिशत वितरण | 217 |
| 8.02 | आर्थिक संभाग वार एवं उद्यमों के प्रकार के अनुसार उद्यम एवं रोज़गार का प्रतिशत वितरण | 218 |
| 8.03 | प्रदेश में पाँचवीं आर्थिक गणना 2005 के सापेक्ष छठी आर्थिक गणना 2012–13 के अन्तर्गत संभाग वार, क्षेत्र वार उद्यम एवं रोज़गार की वृद्धि दर की प्रवृत्ति | 219 |
| 8.04 | हस्तशिल्प / हथकरघा उद्यमों का संभाग वार प्रतिशत वितरण | 220 |
| | अनुलग्नक – I : सन्दर्भ सारिणियों की अनुक्रमणिका | 223–225 |
| | सन्दर्भ सारिणी | 226–345 |
| | अनुलग्नक – II : इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रकाशित की जाने वाली सारिणियों की अनुक्रमणिका | 346–351 |
| | अनुलग्नक – III : आर्थिक गणना के सर्वेक्षण में प्रयोग की गयी अनुसूचियाँ | 352–357 |
| | अनुलग्नक – IV : अवधारणाएँ एवं महत्वपूर्ण परिभाषायें | 359–363 |
| | अनुलग्नक – V : छठी आर्थिक गणना 2012–13 के सर्वेक्षण कार्य की अवधि | 364–365 |
| | अनुलग्नक – VI : जनपद वार प्रगणक, पर्यवेक्षक एवं सर्वेक्षित प्रगणन खण्डों की संख्या | 366–367 |
| | अनुलग्नक – VII : सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 की अधिसूचना | 369–393 |
| | अनुलग्नक – VIII : बिजली विभाग में पंजीकृत घरेलू कनेक्शन, औद्योगिक कनेक्शन, कामर्शियल कनेक्शनों की संख्या, जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकृत उद्यमों की संख्या एवं वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2009–10 एवं 2010–11 में पंजीकृत उद्यमों की संख्या को 8 या उससे अधिक कार्यरत व्यक्तियों वाले उद्यमों की संख्या से तुलना | 394–395 |
| | अनुलग्नक – IX : तुलनात्मक अध्ययन हेतु पाँचवीं आर्थिक गणना–2005 के आँकड़े | 396–407 |
| | अनुलग्नक – X : छठी आर्थिक गणना 2012–13 की रिपोर्ट आलेखन से सम्बद्ध अधिकारियों / कर्मचारियों की सूची | 408 |

# छठी आर्थिक गणना 2012-13 के मुख्य निष्कर्ष

## सामान्य

- केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय एवं निर्दिष्ट दिशा–निर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश में छठी आर्थिक गणना 2012–13 भारत के समस्त राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की भांति ही एक साथ सम्पन्न करायी गयी।
- जनगणना–2011 के अनुसार प्रदेश के 18 मण्डलों एवं 71 जनपदों के अन्तर्गत आर्थिक गणना सम्पन्न करायी गयी। उक्त गणना कुल 3,95,223 प्रगणन खण्डों में कराने के लिए 1,25,917 प्रगणक एवं 59,018 पर्यवेक्षक लगाये गये थे, जिनके द्वारा भारत सरकार से निर्धारित अनुसूचियाँ 6A, 6B एवं 6C पर सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम–2008 के अन्तर्गत आँकड़ों का संग्रहण कार्य कराया गया। आँकड़ें संग्रह करने हेतु जिला स्तर के अधिकारियों को राज्य स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षित किया गया। जिला स्तरीय प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा जनपद स्तर एवं 1,598 चार्जों में दो दिवसीय प्रशिक्षण, चार्ज अधिकारियों को दिया गया। जिसमें 1,598 चार्ज अधिकारियों, 59,018 पर्यवेक्षकों एवं 1,25,917 प्रगणकों को प्रशिक्षित किया गया।
- केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गणना कार्य में प्रयुक्त की गयी अनुसूचियाँ 6A, 6B एवं 6C की आपूर्ति सीधे जनपदों को उनकी आवश्यकता के अनुसार की गयी।
- प्रदेश में गणना कार्य जून, 2013 से अगस्त, 2013 के मध्य सम्पन्न कराया गया।
- छठी आर्थिक गणना में (फसल उत्पादन, बागवानी, लोक प्रशासन, रक्षा एवं अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की गतिविधियों को छोड़कर) समस्त विभिन्न प्रकार के कृषीय एवं अकृषीय उद्यमों के क्रिया–कलापों की गणना की गयी है।
- जनगणना–2011 में भौगोलिक आधार पर बनाये गये प्रगणन खण्डों को प्राथमिक इकाई मानते हुए गणना कार्य कराया गया है।
- छठी आर्थिक गणना 2012–13 में प्रथम बार हस्तशिल्प एवं हथकरघा उद्यमों को गणना कार्य में सम्मिलित किया गया है।

## उद्यम

- छठी आर्थिक गणना 2012–13 के अनुसार, प्रदेश के अन्तर्गत 66.84 लाख उद्यम पाये गये। जिसमें से 41.59 लाख उद्यम (62.22 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में और लगभग 25.25 लाख उद्यम (37.78 प्रतिशत ) नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित होना पाया गया।
- तुलनात्मक दृष्टि से भारत के अन्य राज्यों के सापेक्ष सबसे अधिक उद्यम उत्तर प्रदेश राज्य में 11.43 प्रतिशत पाये गये हैं।
- प्रदेश में 66.84 लाख उद्यमों में से 78.38 प्रतिशत उद्यम (52.39 लाख) गैर–कृषीय गतिविधियों में संचालित पाये गये, जबकि शेष 21.62 प्रतिशत उद्यम (14.45 लाख) कृषि गतिविधियों में संचालित पाये गये।
- प्रदेश में उद्यमों की संख्या पाँचवी आर्थिक गणना (2005) में 39.93 लाख से छठी आर्थिक गणना (2013) में 26.91 लाख की वृद्धि के साथ 66.84 लाख हो गयी अर्थात् इस अवधि के दौरान 67.38

प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में 90.00 प्रतिशत और नगरीय क्षेत्रों में 39.94 प्रतिशत पायी गयी।

- पाँचवीं आर्थिक गणना–2005 और छठी आर्थिक गणना 2012–13 के दौरान, गैर–कृषीय उद्यमों में 40.21 प्रतिशत की दर से तथा कृषीय उद्यमों में 462.06 प्रतिशत की दर से बढ़ोत्तरी हुई है।
- 50.48 लाख (75.53 प्रतिशत) स्व–कार्यरत (अर्थात् जिसमें कोई भी कामगार भाड़े पर कार्यरत नहीं है) संचालित उद्यम तथा अवशेष 16.36 लाख (24.47 प्रतिशत) उद्यम भाड़े पर कार्यरत कम से कम एक व्यक्ति से संचालित उद्यम पाये गये। वर्ष 2005–13 के मध्य स्व–कार्यरत संचालित उद्यमों में 77.80 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई, जबकि भाड़े पर कार्यरत कम से कम एक व्यक्ति से संचालित उद्यमों में 41.73 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई।
- प्रदेश में 66.84 लाख उद्यमों में से लगभग 86.94 प्रतिशत उद्यम निजी स्वामित्व के अधीन और शेष 3.16 प्रतिशत उद्यम शासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में उनके स्वामित्व की सूचना थी। मालिकाना उद्यम 91.13 प्रतिशत थे।
- राज्य में सभी उद्यमों के 43.41 प्रतिशत उद्यम घर पर आधारित थे अर्थात् निवास के अन्दर उद्यम संचालित थे। जबकि निवास के बाहर बिना निश्चित ढ़ांचे वाले उद्यम 43.08 प्रतिशत और शेष 13.51 प्रतिशत निवास के बाहर निश्चित ढ़ांचे वाले उद्यम संचालित थे।
- अधिकांशतः 93.77 प्रतिशत उद्यम बारहमासी प्रकृति के थे। लगभग 5.46 प्रतिशत उद्यम मौसमी प्रकृति के थे और शेष 0.77 प्रतिशत उद्यम आकस्मिक प्रकृति के थे।
- पशुधन (90.77 प्रतिशत) कृषि क्षेत्र की प्रमुख आर्थिक गतिविधि थी जबकि गैर–कृषीय गतिविधि में खुदरा व्यापार (44.67 प्रतिशत) के बाद विनिर्माण क्षेत्र में (21.79 प्रतिशत) प्रमुख आर्थिक गतिविधि थी।

### मालिकाना उद्यम

- राज्य में सभी उद्यमों के 91.13 प्रतिशत उद्यम मालिक के स्वामित्व वाले थे।
- मालिकाना उद्यमों में से 7.92 प्रतिशत उद्यम महिला के स्वामित्व वाले थे।

### महिला उद्यमी

- महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले उद्यमों की कुल संख्या 4.82 लाख (7.22 प्रतिशत) थी। जिसमें 9.29 लाख (6.58 प्रतिशत) लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराया। जिसमें से 3.93 प्रतिशत उद्यम स्वकार्यरत उद्यम थे।
- महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले उद्यमों में से 27.33 प्रतिशत कृषीय गतिविधियों से सम्बन्धित उद्यम थे। जिसमें पशुधन 26.00 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ अपना प्रभुत्व रखता है। जबकि गैर–कृषीय गतिविधि के अन्तर्गत खुदरा व्यापार और विनिर्माण क्षेत्र में क्रमशः 27.19 प्रतिशत और 24.91 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ प्रमुख आर्थिक गतिविधि थी।
- महिला स्वामित्व वाले उद्यमों में महिलाओं के लिए उद्यमों में प्रति औसत रोज़गार 0.52 प्रतिशत पाया गया।

### हस्तशिल्प/हथकरघा उद्यम

- हस्तशिल्प/हथकरघा उद्यमों की कुल संख्या 3.09 लाख (2.20 प्रतिशत) थी। इन उद्यमों में 7.69 लाख (5.45 प्रतिशत) रोज़गार उपलब्ध कराया।
- हस्तशिल्प/हथकरघा उद्यमों की कुल संख्या का 97.26 प्रतिशत मालिक (प्रोपराइटर) के स्वामित्व वाले थे। मालिकाना उद्यमों के 49.98 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित थे। इन उद्यमों में से 83.96 प्रतिशत पुरुष, 15.73 प्रतिशत महिला और शेष 931 (0.31 प्रतिशत) अन्य के स्वामित्व वाले थे।

## रोज़गार

- प्रदेश में 66.84 लाख उद्यमों में लगभग 141.18 लाख व्यक्ति कार्यरत पाए गए। कुल 141.18 लाख व्यक्तियों में से 79.53 लाख व्यक्ति (56.33 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 61.64 लाख व्यक्ति (43.67 प्रतिशत) नगरीय क्षेत्रों में कार्यरत थे। जबकि स्व–कार्यरत संचालित उद्यमों में 74.42 लाख व्यक्तियों (52.71 प्रतिशत) को तथा भाड़े पर कार्यरत कम से कम एक व्यक्ति से संचालित होने वाले उद्यमों में 66.75 लाख व्यक्तियों (47.29 प्रतिशत) को रोज़गार प्राप्त था। कृषीय उद्यमों में लगभग 27.21 लाख व्यक्तियों (19.27 प्रतिशत) को रोज़गार प्राप्त था तथा गैर–कृषीय उद्यमों में लगभग 113.97 लाख व्यक्तियों (80.73 प्रतिशत) को रोज़गार प्राप्त था।
- तुलनात्मक दृष्टि से उत्तर प्रदेश सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे ज्यादा रोज़गार (10.75 प्रतिशत) उपलब्ध कराने वाला प्रदेश है।
- ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमो में काम कर रहे व्यक्तियों की संख्या को देखते हुए, यह पाया गया है कि उत्तर प्रदेश में (कुल ग्रामीण रोज़गार के 11.71 प्रतिशत ) अधिकतम रोजगार के बाद पश्चिम बंगाल (8.94 प्रतिशत ) और महाराष्ट्र (8.93 प्रतिशत) रोजगार पाया गया।
- प्रदेश में वर्ष 2005 से वर्ष 2013 के मध्य 79.94 प्रतिशत रोज़गार की वृद्धि दर रही है।
- प्रदेश में 141.18 लाख व्यक्तियों के कुल रोज़गार में से 113.91 लाख (80.69 प्रतिशत) पुरुष और 27.27 लाख (19.31 प्रतिशत) महिला कार्यरत थे।
- प्रदेश में शासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में 5.87 प्रतिशत कामग़ार, निजी (मालिकाना) स्वामित्व वाले उद्यमों में 84.02 प्रतिशत कामग़ार तथा शेष 10.11 प्रतिशत कामग़ार निजी कम्पनियों/स्वयं सहायता समूह/सहकारिता आदि में कार्यरत थे।
- खुदरा व्यापार 36.83 लाख (26.09 प्रतिशत) व्यक्तियों को रोज़गार उपलब्ध कराने में सबसे बड़ा नियोक्ता था। उसके पश्चात् 33.02 लाख (23.39 प्रतिशत) व्यक्तियों को विनिर्माण क्षेत्र में तथा 25.20 लाख (17.85 प्रतिशत ) व्यक्तियों को पशुधन क्षेत्र में रोज़गार प्राप्त था।
- रोज़गार आकार वर्ग के अन्तर्गत उद्यमों के वितरण का अध्ययन करने पर पता चलता है कि लगभग 64.52 लाख उद्यमों (96.53 प्रतिशत) में 1–5 कामग़ार तथा 1.88 लाख उद्यमों (2.81 प्रतिशत) में 6–9 कामगार कार्यरत थे, जबकि 0.44 लाख उद्यमों (0.66 प्रतिशत) में 10 या अधिक कामगार कार्य कर रहे थे।
- छठी आर्थिक गणना 2012–13 में प्रति उद्यम औसत रोज़गार पाँचवी आर्थिक गणना 2005 के सापेक्ष 1.96 के मुकाबले 2.11 था। छठी आर्थिक गणना 2012–13 में प्रति उद्यम औसत रोज़गार भाड़े पर कार्यरत कम से कम एक व्यक्तियों के उद्यमों के लिए तथा स्व–कार्यरत संचालित उद्यमों के लिए क्रमशः 1.88 और 2.18 था।

# छठी आर्थिक गणना 2012-13 के आँकड़ों का संक्षिप्त विवरण

| मद | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| उद्यम | | |
| कुल उद्यम | **6683905** | **100.00** |
| ⇨ ग्रामीण उद्यम | **4158955** | **62.22** |
| ⇨ नगरीय उद्यम | **2524950** | **37.78** |
| | | |
| ⇨ निवास के बाहर निश्चित ढांचे वाले उद्यम | **2879463** | **43.08** |
| ⇨ निवास के बाहर बिना निश्चित ढांचे वाले उद्यम | **902864** | **13.51** |
| ⇨ निवास के भीतर उद्यम | **2901578** | **43.41** |
| **हस्तशिल्प/हथकरघा उद्यमों का योग** | **309997** | **4.64** |
| ⇨ ग्रामीण उद्यम | **154586** | **2.31** |
| ⇨ नगरीय उद्यम | **155411** | **2.33** |
| **उद्यमों में नियोजित कामगार** | | |
| **कुल कामगार** | **14118052** | **100.00** |
| ⇨ ग्रामीण कामगार | **7953379** | **56.33** |
| ⇨ नगरीय कामगार | **6164673** | **43.67** |
| | | |
| ⇨ कुल वैतनिक कामगार | **6675906** | **47.29** |
| ⇨ कुल अवैतनिक कामगार | **7442146** | **52.71** |
| **कुल पुरुष कामगार** | **11391180** | **80.69** |
| ⇨ वैतनिक पुरुष कामगार | **4084854** | **28.93** |
| ⇨ अवैतनिक पुरुष कामगार | **7306326** | **51.75** |
| **कुल महिला कामगार** | **2726872** | **19.31** |
| ⇨ वैतनिक महिला कामगार | **917958** | **6.50** |
| ⇨ अवैतनिक महिला कामगार | **1808914** | **12.81** |

# भाग – 1 : अध्याय

# अध्याय–एक

## भूमिका

नियोजित विकास को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए ससमय गुणवत्ता के लिए आँकड़ों का एकत्रीकरण आवश्यक है। कार्यान्वित योजनाओं का अर्थव्यवस्था के विभिन्न खण्डों पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन, विकास संकेतकों के निर्माण, राज्य आय के आगणन आदि कार्यों हेतु आँकड़ों की माँग निरन्तर होती है। आँकड़ों की उपलब्धता की समीक्षा करने पर यह तथ्य दृष्टिगोचर होता है कि अर्थव्यवस्था के कुछ खण्डों जैसे कृषीय खण्ड के अन्तर्गत भू अभिलेखों के माध्यम से तथा कृषीय गणना एवं सर्वेक्षणों के आधार पर भूमि उपयोग, प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल, उत्पादकता, उत्पादन, सिंचित क्षेत्र आदि मदों से सम्बन्धित आँकड़े नियमित रूप से उपलब्ध हो जाते हैं। अकृषीय खण्ड के संगठित क्षेत्र के अन्तर्गत पंजीकृत कारखानों, खानों, रेलवे, राज्य परिवहन उपक्रमों, बैंकों व मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों आदि से सम्बन्धित प्रमुख आँकड़े भी उपलब्ध होते रहते हैं परन्तु कुछ खण्डों जैसे विनिर्माण, व्यापार, यातायात, निर्माण एवं सेवा आदि से सम्बन्धित असंगठित क्षेत्र के आँकड़ों की उपलब्धता सन्तोषजनक नहीं रही है। इसके फलस्वरूप रिक्त खण्डों जैसे गैर पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों तथा सड़क एवं जल यातायात सम्बन्धी कतिपय आँकड़ों की उपलब्धता लगभग नगण्य हैं। अकृषीय असंगठित क्षेत्र के आँकड़ों के अभाव में राष्ट्रीय/राज्य आय में इस क्षेत्र के सम्पूर्ण योगदान की सूचना उपलब्ध नहीं हो पाती है। उपर्युक्त के अतिरिक्त अर्थव्यवस्था के सन्तुलित विकास के नियोजन हेतु अकृषीय असंगठित क्षेत्र, सेवायोजन, उत्पादन व उत्पादकता सम्बन्धी विस्तृत सूचना की निरन्तर आवश्यकता बनी रहती है।

अर्थव्यवस्था के उन विभिन्न खण्डों जिनके आँकड़े या तो अनुपलब्ध हैं या उपलब्धता सन्तोषजनक नहीं है, से सम्बन्धित आँकड़ों को प्राप्त करने हेतु राष्ट्र स्तर एवं प्रदेश स्तर पर समय–समय पर प्रयास किये गये हैं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1968–69 में घरेलू उद्योग सर्वेक्षण, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में वाणिज्य सर्वेक्षण द्वारा आँकड़े एकत्र करना, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा गैर कृषीय कार्यकलापों में रत परिवारों के आँकड़े एकत्र करना, वर्ष 1971 में राष्ट्रव्यापी जनगणना में संस्थान पर्ची का भरा जाना, वर्ष 1971–73 की अवधि में अपंजीकृत औद्योगिक इकाइयों की गणना तथा 1973–74 में विकास आयुक्त, लघु एवं कुटीर उद्योग के अधीन इकाइयों की गणना कराने के प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन समस्त दुरूह प्रयासों के बाद भी अकृषीय कार्यकलापों के असंगठित क्षेत्र के आँकड़ों की नियमित उपलब्धता का अभाव बना रहा।

असंगठित क्षेत्र के पर्याप्त एवं विश्वसनीय आँकड़ों की अनुपलब्धता के दृष्टिगत इन्हें प्राप्त करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार द्वारा प्रथम बार 1977 में देशव्यापी प्रथम आर्थिक गणना करायी गयी। इस गणना के अनुभवों व परिणामों का लाभ उठाते हुए वर्ष 1980 व 1990 में जनगणना के प्रथम चरण के साथ ही क्रमशः द्वितीय व तृतीय आर्थिक गणना के आँकड़े एकत्रित कराये गये। तदोपरान्त चतुर्थ आर्थिक गणना वर्ष 1998 में तथा पाँचवीं आर्थिक गणना वर्ष 2005 में स्वतंत्र रूप से सम्पन्न करायी गयी।

### 1.01 प्रथम आर्थिक गणना (1977)

प्रथम आर्थिक गणना 1977 का विषय वस्तु एवं क्षेत्र सीमित था जिसके अन्तर्गत गैर–कृषीय क्षेत्र में केवल ऐसे प्रतिष्ठानों को ही सम्मिलित किया गया, जिनमें नियमित रूप से कम से कम एक श्रमिक भाड़े पर कार्यरत हो, आँकड़ों को एकत्र करने के दृष्टिकोण से ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के लिए अलग–अलग नीति अपनायी गयी। समस्त नगरीय क्षेत्रों में घर–घर जाकर आँकड़े एकत्र किये गये, किन्तु ग्रामीण क्षेत्र के केवल 5000 तथा अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में प्रत्येक घर जाकर सूचना एकत्र की गयी तथा 5000 से कम जनसंख्या वाले ग्रामों में ग्राम स्तर पर पूछताछ (किसी जानकार व्यक्ति से) करके सूचना एकत्र की गयी। एकत्रित आँकड़ों के अन्तर्गत मूलभूत सूचनाएं जैसे संस्थानों की संख्या व स्वरूप उनमें सामान्यतः कार्यरत व्यक्तियों की संख्या, भाड़े पर कार्यरत व्यक्तियों की संख्या, स्वामित्व का प्रकार, स्वामी का सामाजिक वर्ग, प्रयुक्त शक्ति/ईंधन आदि सम्मिलित थीं।

### 1.02 द्वितीय आर्थिक गणना (1980)

द्वितीय आर्थिक गणना (1980) का क्षेत्र एवं विस्तार प्रथम आर्थिक गणना (1977) की अपेक्षा अधिक वृहद था। प्रथम आर्थिक गणना में स्व–कार्यरत उद्यमों और कृषीय उद्यमों को छोड़ दिया गया था। रोजगार के अधिकाधिक अवसरों के सृजन के दृष्टिकोण से द्वितीय आर्थिक गणना में स्व–कार्यरत उद्यमों से भी सूचना संग्रह कराना आवश्यक समझा गया। साथ ही कृषीय क्षेत्र (फसल उत्पादन तथा बागवानी के अतिरिक्त) के स्व–कार्यरत उद्यमों तथा संस्थानों को भी गणना में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार द्वितीय आर्थिक गणना (1980) के अन्तर्गत कृषीय तथा अकृषीय उद्यमों (स्व–कार्यरत उद्यम तथा संस्थान) से सम्बन्धित सूचना प्रदेश के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों से एकत्र की गयी। एकत्रित सूचना के अन्तर्गत प्रत्येक उद्यम के सम्बन्ध में कार्यकलाप का विवरण, कृषीय या गैर कृषीय में वर्गीकरण, बारहमासी या मौसमी, स्वामित्व का प्रकार (निजी, सहकारी, सरकारी या अन्य), स्वामी का सामाजिक वर्ग, प्रयुक्त ईंधन, रोजगार तथा भाड़े पर श्रमिक आदि की सूचना सम्मिलित थी। द्वितीय आर्थिक गणना जनगणना 1981 के मकान सूचीकरण कार्य के साथ ही सम्पन्न करायी गयी।

### 1.03 तृतीय आर्थिक गणना (1990)

द्वितीय आर्थिक गणना (1980) के अनुभवों का लाभ उठाते हुए मितव्ययिता तथा विशाल मानवशक्ति के प्रयोग को दृष्टिगत रखते हुए तृतीय आर्थिक गणना (1990) का कार्य जनगणना 1991 के लिए मकान सूचीकरण कार्य के साथ ही सम्पादित कराया गया तथा इसकी कार्यविधि एवं विषयवस्तु द्वितीय आर्थिक गणना (1980) के समान ही थी।

### 1.04 चतुर्थ आर्थिक गणना (1998)

यद्यपि प्रारम्भ में भारत सरकार का विचार आर्थिक गणना को प्रत्येक 5 वर्ष के अन्तराल पर सम्पन्न कराने का था। परन्तु वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण द्वितीय व तृतीय आर्थिक गणना का कार्य क्रमशः जनगणना 1981 व 1991 के प्रथम चरण के साथ सम्पन्न करायी गयी। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत उद्यमों में पायी जाने वाली उच्च दर की नश्वरता, गतिशीलता व उत्पादन के स्वरूप में परिवर्तन के कारण पुनः आर्थिक गणना को प्रत्येक 5 वर्ष के अन्तराल पर कराने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया। तद्नुसार वर्ष 1998 में चतुर्थ आर्थिक गणना स्वतंत्र रूप से सम्पन्न करायी गयी। इस प्रकार चतुर्थ आर्थिक गणना (1998), दूसरी व तीसरी आर्थिक गणना से कुछ बातों में भिन्न है। जैसे–दूसरी व तीसरी आर्थिक गणना के लिए भारत सरकार के निर्देशन में जनगणना 1981 व 1991 के लिए मकान सूची भरते समय ऑकड़े एकत्र कराये गये थे। गणना में प्रयुक्त होने वाली अनुसूचियों का मुद्रण एवं वितरण भारत सरकार द्वारा सम्पन्न कराया गया था। अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा मात्र तकनीकी सहयोग ही प्रदान किया गया था। जबकि चतुर्थ आर्थिक गणना–(1998) के लिए अनुसूचियों के मुद्रण, वितरण, प्रगणन खण्डों की संरचना, कार्मिकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण तथा अन्य समस्त क्षेत्रीय कार्य का संचालन अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा सम्पन्न कराया गया।

चतुर्थ आर्थिक गणना–(1998) के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में कृषि फसल उत्पादन व बागवानी से सम्बन्धित कार्यकलापों को छोड़कर अन्य सभी कृषीय तथा अकृषीय उद्यमों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की गयी।

### 1.05 पाँचवीं आर्थिक गणना (2005)

भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अन्तर्गत केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के निर्देशन में अब तक 5 आर्थिक गणनाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है । प्रथम आर्थिक गणना वर्ष 1977 में की गयी थी। पाँचवीं आर्थिक गणना वर्ष 2005 में सम्पन्न करायी गयी। प्रारम्भ की तीन आर्थिक गणना से चतुर्थ आर्थिक गणना–(1998) कुछ बातों में भिन्न थी एवं स्वतंत्र रूप से सम्पन्न करायी गयी थी। पाँचवीं आर्थिक गणना–(2005) भी स्वतंत्र रूप से सम्पन्न करायी गयी। पाँचवीं आर्थिक गणना का विधायन मैनुअल न होकर वर्ण पहचान प्रौद्योगिकी (आई०सी०आर०–इमेज करैक्टर रिकॉग्नीशन) द्वारा किया गया। इस प्रकार पाँचवीं आर्थिक गणना पूर्व की आर्थिक गणनाओं से कतिपय बातों में भिन्न तथा आँकड़ों के विधायन में पूर्णतया कम्प्यूटराइज्ड / अद्यतन तरीके पर आधारित थी।

### 1.06 छठी आर्थिक गणना (2012–13)

छठी आर्थिक गणना (2012–13) चतुर्थ एवं पाँचवी आर्थिक गणना के अनुसार ही स्वतंत्र रूप से सम्पन्न करायी

गयी। जिस प्रकार पाँचवीं आर्थिक गणना का विधायन मैनुअल न होकर वर्ण पहचान प्रौद्योगिकी (आई०सी०आर०–इमेज करैक्टर रिकॉग्नीशन) द्वारा किया गया था, उसी प्रकार छठी आर्थिक गणना (2012–13) का भी किया गया है। अतएव छठी आर्थिक गणना पूर्व की आर्थिक गणनाओं से कतिपय बातों में भिन्न तथा आँकड़ों के विधायन में पूर्णतया कम्प्यूटराइज्ड/अद्यतन तरीके पर आधारित थी।

### (अ) सम्पादन

छठी आर्थिक गणना 2012–13 के लिए अनुसूचियों के मुद्रण एवं वितरण का कार्य भारत सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों की आवश्यकताओं के अनुरूप आपूर्ति सीधे जनपदों को केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा की गयी है। प्रगणन खण्डों की संरचना जनगणना–2011 में बनाये गये प्रगणन खण्डों के संक्षिप्त मकान सूची एवं नजरी नक्शा गणना कार्य के लिए आवृत्त क्षेत्र सुनिश्चित करने हेतु प्रगणकों को जनगणना निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये। कार्मिकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण तथा अन्य समस्त क्षेत्रीय कार्य का संचालन अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा सम्पन्न कराया गया।

### (ब) विषय क्षेत्र

द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पाँचवीं आर्थिक गणना का विषय क्षेत्र अर्थव्यवस्था में सम्मिलित समस्त खण्ड (कृषि फसल उत्पादन व बागवानी को छोड़कर) था। छठी आर्थिक गणना का विषय क्षेत्र भी पाँचवीं आर्थिक गणना के समान ही है। हस्तशिल्प/हथकरघा क्षेत्र के आँकड़ों के अभाव के कारण यह निर्णय लिया गया कि छठी आर्थिक गणना में हस्तशिल्प/हथकरघा क्षेत्र से सम्बन्धित सूचनाओं को संग्रहित किया जाय। इसके लिए ''क्या यह एक हस्तशिल्प/हथकरघा गतिविधि है अथवा नहीं?'' को मुख्य अनुसूची में एक मद के रूप में जोड़ा गया। यह पूछताछ केवल विनिर्माण गतिविधि तक सीमित था। इस सम्बन्ध में निर्णय तत्कालीन योजना आयोग, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), विकास आयुक्त (हथकरघा), भारतीय शिल्प परिषद तथा अन्य हितधारकों से परामर्श के पश्चात् लिया गया। छठी आर्थिक गणना 2012–13 के अन्तर्गत क्षेत्र से ऑकड़ों के एकत्रीकरण हेतु तीन प्रपत्रों यथा– (1) मकान एवं उद्यम अनुसूची 6A, (2) उद्यम सार अनुसूची 6B तथा (3) उद्यमों की डायरेक्टरी अनुसूची 6C का प्रयोग किया गया।

छठी आर्थिक गणना में उद्यमों की डायरेक्टरी अनुसूची 6C ऐसे उद्यमों, जिनमें 8 या इससे अधिक व्यक्ति (वैतनिक एवं अवैतनिक वाले मिलाकर) कार्यरत हैं, के लिए प्रयोग की गयी है।

जनगणना–2011 में बनाये गये प्रगणन खण्डों को ही ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में गणना की इकाई रखा गया है।

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार द्वारा छठी आर्थिक गणना हेतु वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में की गयी। राज्यों से यह अपेक्षा की गयी किः–

राष्ट्रीय स्तर पर प्रदत्त प्रशिक्षण के अनुसार राज्य में सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाये। इस प्रशिक्षण के आधार पर जिला स्तरीय अधिकारी अपने जनपद के क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों एवं प्रगणकों को प्रशिक्षित करेंगे ।

छठी आर्थिक गणना 2012–13 के आँकड़े मकान एवं उद्यम अनुसूची 6A, उद्यम सार अनुसूची 6B एवं उद्यमों की डायरेक्टरी अनुसूची 6C पर एकत्र किये जायेंगे।

एकत्रित आँकड़ों के आधार पर त्वरित संकलन कर राज्य के उद्यमों के सम्बन्ध में प्रमुख मदों की सूचना केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत सरकार को उपलब्ध करायेंगे।

उद्यम सूचियों के परिनिरीक्षण तथा कोड़ीकरण का कार्य कार्यालय जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी के सहायकों के द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

परिनिरीक्षित अनुसूचियों के आधार पर आँकड़ों को वर्ण पहचान प्रौद्योगिकी (आई०सी०आर०–इमेज करैक्टर रिकॉग्नीशन) द्वारा कम्प्यूटर पर विधायन किया जाएगा। इस तकनीक के अपनाये जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित विशेष निर्देश दिये गयेः–

- अनुसूचियों को भरने में अंग्रेजी अंकों का ही प्रयोग किया जाए।
- अनुसूचियों को किसी भी दशा में मोड़ा न जाए।

- ❖ आँकड़ों को मूल प्रपत्रों पर संकलित/भरा जाए।
- ❖ अनुसूचियों को काली/नीली स्याही के बाल पेन से भरा जाए।
- ❖ प्रत्येक अंक/अक्षर बाक्स के अन्दर बीच में लिखा जाए एवं बाक्स की लाइन से स्पर्श न हो।
- ❖ ओवर राइटिंग न की जाए। सुधार की दशा में उस लाइन को काट कर नई लाइन का उपयोग किया जाए।
- ❖ अन्तिम तालिकाओं के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

उद्यमों के सम्बन्ध में उनकी स्थिति, अवस्थापना का स्थान, कार्यकलाप का विवरण, उद्यम का प्रकार (कृषीय या गैर–कृषीय), उद्यम की प्रकृति (मौसमी या बारहमासी), स्वामित्व का प्रकार (निजी, सहकारी या सरकारी), सामाजिक वर्ग (अनुसूचित जाति/जनजाति या अन्य), कुल तथा भाड़े पर कार्यरत व्यक्तियों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की गयी। अनुसूचियों/प्रपत्रों में प्रयुक्त शब्दों व अवधारणाओं की परिभाषा अनुलग्नक–IV में दी गयी है।

### 1.07 उद्देश्य

i. भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास हेतु यह आवश्यक है कि विभिन्न क्षेत्रों एवं असंगठित क्षेत्रों के तुलनात्मक एवं निश्चित समयान्तराल पर विश्वसनीय आँकड़े उपलब्ध होते रहें, जिससे उनका उपयोग नियोजित विकास प्रक्रिया एवं नीति–निर्धारण में किया जा सके। छठी आर्थिक गणना 2012–13 सम्पन्न कराने का तात्पर्य, (फसल उत्पादन, वृक्षारोपण, लोक प्रशासन, रक्षा और अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की गतिविधियों को छोड़कर) सभी प्रकार के उद्यमों एवं उनमें कार्यरत व्यक्तियों की सूचना क्रियाकलापों के अनुसार आर्थिक संरचना एवं तुलनात्मक विश्लेषण के लिए राज्य, जिला एवं भौगोलिक रूप से निम्न स्तर की इकाई जैसे–ग्रामीण क्षेत्र में तहसील/ग्राम एवं नगरीय क्षेत्र में नगर/वार्ड की सूचनायें उपलब्ध कराना है, जो विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया अपनाने के लिए संविधान के 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के अनुसार अत्यन्त आवश्यक है।

ii. उद्यमों से सम्बन्धित सूचनायें प्राप्त करने के साथ ही पृथक से 08 या 08 से अधिक कार्यरत व्यक्तियों वाले क्रियाकलापों के आँकड़े प्राप्त करना है।

iii. आर्थिक क्रियाकलापों के अनुसार उद्यमों में कार्यरत कार्मिकों की सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

iv. असंगठित क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत कार्मिकों की सूचना प्राप्त करना है, जहाँ 08 या 08 से अधिक कार्मिक कार्यरत हैं।

v. जिन उद्यमों में 08 या 08 से अधिक कार्मिक कार्यरत हों, उनकी सूची एवं निदर्शनी को अद्यतन करते हुए स्थानीय स्तर पर, आधार के रूप में नियोजित विकास प्रक्रिया में उपयोग किया जाना है, जो गैर–विनिर्माण (Non-manufacturing) एवं सेवा क्षेत्र (Service Sector) के उद्यमों का सर्वेक्षण कराने में सहायक सिद्ध हो सकें।

vi. स्वामित्व के आधार पर उद्यमों में कार्यरत व्यक्तियों में ग्राम एवं ब्लाक स्तर की सूचना को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कराने में उपयोग किया जा सके।

### 1.08 आच्छादन

छठी आर्थिक गणना 2012–13 भारत के समस्त राज्य एवं केन्द्र शासित राज्यों में करायी गयी, जिसमें सभी आर्थिक क्रियाकलापों (कृषीय एवं अकृषीय क्षेत्र) के अन्तर्गत (फसल उत्पादन, वृक्षारोपण, लोक प्रशासन, रक्षा और अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की गतिविधियों को छोड़कर) एवं ऐसी समस्त इकाइयों/उद्यमों, जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण के कार्य में संलग्न हैं, को सम्मिलित किया गया है। पिछली गणनाओं की भाँति ही

निम्नलिखित क्रियाकलापों को छठी आर्थिक गणना 2012–13 से बाहर रखा गया है:–

i. बिना ढांचे वाले उद्यमों के साथ घुमक्कड़ परिवारों को सम्मिलित नहीं किया गया है।

ii. ऐसे उद्यम जो गैरकानूनी क्रियाकलापों जैसे–तस्करी, जुआँ, भिक्षावृत्ति और वेश्यावृत्ति में संलिप्त हैं, को सम्मिलित नहीं किया गया है।

iii. घरेलू नौकर एवं ड्राइवर, जो एक या एक से अधिक घरों में काम करते हों एवं मजदूरी के लिए दूसरों पर निर्भर हों, को सम्मिलित नहीं किया गया है।

iv. अस्थिर प्रकृति वाले कार्य में लगे अवैतनिक कार्मिकों को सम्मिलित नहीं किया गया है।

v. घरेलू कार्य में कार्यरत परिवार के सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया गया है।

vi. जो कार्मिक यथा–पल्लेदार, राजगीर मिस्त्री, बढ़ई, ठेकेदार, जो कार्य की उपलब्धता पर निर्भर हैं, को सम्मिलित नहीं किया गया है।

vii. ऐसे परिवार जो किसी दूसरे परिवार के उद्यमों का कार्य करते हैं और उनसे निश्चित धनराशि प्राप्त करते हैं, को सम्मिलित नहीं किया गया है।

viii. ऐसे परिवार जो किसी लाभकारी क्रियाकलापों में संलग्न नहीं है जैसे–दूसरों पर निर्भर, किराया अर्जन, ब्याज अर्जन एवं पेंशनभोगी आदि, को सम्मिलित नहीं किया गया है।

### 1.09 राज्य स्तरीय आर्थिक गणना स्टीयरिंग एण्ड मॉनीटरिंग कमेटी

राज्य स्तर पर छठी आर्थिक गणना 2012–13 के कार्य को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों में परस्पर यथोचित सामन्जस्य एवं समन्वय सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आर्थिक गणना स्टीयरिंग एण्ड मॉनीटरिंग कमेटी का गठन किया गया। जिसमें प्रमुख सचिव, नियोजन, समाज कल्याण, खाद्य एवं रसद, खादी ग्रामोद्योग, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, राजस्व, कृषि, पशुधन, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, व्यवसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा, रेशम, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, औद्योगिक विकास, सहकारिता, लघु उद्योग, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध विकास तथा सचिव, ऊर्जा एवं प्राथमिक शिक्षा, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार के नामित प्रतिनिधि, उप महानिदेशक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (क्षेत्र संकार्य प्रभाग), मध्य क्षेत्र, लखनऊ को सदस्य बनाया गया और निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश को सदस्य सचिव बनाया गया है।

### 1.10 जिला आर्थिक गणना समन्वय एवं अनुश्रवण समिति

जिला स्तर पर छठी आर्थिक गणना 2012–13 के कार्य को ससमय एवं सुचारू रूप से सम्पादित कराने की दृष्टि से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आर्थिक गणना समन्वय एवं अनुश्रवण समिति का गठन किया गया। जिसमें जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, सहायक निबन्धक सहकारी समितियाँ, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, सामान्य प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, प्रबन्धक दुग्ध विकास, समस्त नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी (स्थानीय निकाय), जिला सूचना अधिकारी/सहायक निदेशक, सूचना को सदस्य तथा जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को सदस्य सचिव बनाया गया।

### 1.11 आर्थिक गणना में पदाभिहीत अधिकारी

छठी आर्थिक गणना 2012–13 को सुचारू रूप से ससमय सम्पन्न कराने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को उनके समक्ष अंकित कार्यक्षेत्र के भीतर आर्थिक गणना कराने, उसमें सहायता देने और उसका पर्यवेक्षण करने के लिए निम्नवत विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्त किया गया:–

| क्र.सं. | अधिकारी | आर्थिक गणना पदनाम | कार्यक्षेत्र |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | प्रमुख सचिव, नियोजन, उ०प्र० शासन | मुख्य आयुक्त, राज्य आर्थिक गणना | सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश |
| 2 | सचिव, नियोजन, उ०प्र० शासन | आयुक्त, राज्य आर्थिक गणना | सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश |
| 3 | आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक, उत्तर प्रदेश | अपर आयुक्त, राज्य आर्थिक गणना | सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश |
| 4 | मण्डलायुक्त | प्रमुख आयुक्त, मण्डलीय आर्थिक गणना | सम्बन्धित मण्डल |
| 5 | मण्डलीय उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या) | उपायुक्त, मण्डलीय आर्थिक गणना | सम्बन्धित मण्डल |
| 6 | जिलाधिकारी | आयुक्त, जिला आर्थिक गणना | सम्बन्धित जिला |
| 7 | मुख्य विकास अधिकारी | अपर आयुक्त, जिला आर्थिक गणना | सम्बन्धित जिला |
| 8 | उप जिलाधिकारी | उपायुक्त, जिला आर्थिक गणना | सम्बन्धित तहसील |
| 9 | नगर निगमों के नगर आयुक्त | आयुक्त, नगर आर्थिक गणना | सम्बन्धित नगर |
| 10 | जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी | जिला आर्थिक गणना अधिकारी | सम्बन्धित जिला |
| 11 | जिला पंचायत राज अधिकारी | अपर आर्थिक गणना अधिकारी | सम्बन्धित जिला |
| 12 | जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | अपर आर्थिक गणना अधिकारी | सम्बन्धित जिला |
| 13 | नगर निगमों के उप नगर आयुक्त | नगर आर्थिक गणना अधिकारी | नगरों के भीतर उनके सम्बन्धित क्षेत्र |
| 14 | नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत तथा छावनी परिषद के अधिशासी अधिकारी/सचिव | आर्थिक गणना चार्ज अधिकारी | सम्बन्धित क्षेत्र |
| 15 | नगर निगमों के सहायक नगर आयुक्त | आर्थिक गणना चार्ज अधिकारी | नगरों के भीतर उनके सम्बन्धित क्षेत्र |
| 16 | खण्ड विकास अधिकारी/प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी | आर्थिक गणना चार्ज अधिकारी | सम्बन्धित विकास खण्ड |

## 1.12 गत आर्थिक गणनाओं से छठी आर्थिक गणना 2012–13 में भिन्नता

### i. आच्छादन

- द्वितीय आर्थिक गणना (1980) में सम्मिलित की गयी सभी कृषीय उद्यमों को (फसल उत्पादन एवं बागवानी को छोड़कर) छठी आर्थिक गणना 2012–13 में सम्मिलित किया गया है।
- पाँचवीं आर्थिक गणना (2005) के आँकड़ों के संग्रहण में आयी कठिनाइयों के दृष्टिगत गैर–कृषीय उद्यमों में से लोक प्रशासन, रक्षा और अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की गतिविधियों को छोड़कर गणना करायी गयी है, क्योंकि उक्त सूचनाएं स्वतः सम्बन्धित विभागों के माध्यम से उपलब्ध हो जाती है।

### ii. अनुसूचियों में परिवर्तन

छठी आर्थिक गणना 2012–13 में पाँचवीं आर्थिक गणना (2005) के अन्तर्गत मकान सूची एवं उद्यम अनुसूची को सम्मिलित करते हुए, दो अनुसूची i. मकान एवं उद्यम अनुसूची 6A, ii. पाँचवीं आर्थिक गणना (2005) में प्रयुक्त पता पर्ची को छठी आर्थिक गणना 2012–13 के अन्तर्गत उद्यमों की डायरेक्टरी अनुसूची 6C (अनुलग्नक–III) बनाकर

गणना करायी गयी है। तीसरी अनुसूची उद्यमसार 6B में, प्रगणकों द्वारा भरी गयी अनुसूची 6A की सूचनाओं से भरकर अनन्तिम परिणाम तैयार किये गये हैं।

### iii. छठी आर्थिक गणना 2012–13 में अनुसूची 6A में सम्मिलित किये गये नये मद

- परिवार के सदस्यों की संख्या।
- मजदूरी एवं वेतनभोगी कामगारों की संख्या।
- परिवार के सदस्यों के स्वामित्व के उद्यमों की संख्या में, निवास के बाहर निश्चित ढांचे वाले उद्यमों की संख्या।
- परिवार के सदस्यों के स्वामित्व के उद्यमों की संख्या में, निवास के बाहर बिना निश्चित ढ़ांचे वाले उद्यमों की संख्या।
- परिवार के सदस्यों के स्वामित्व के उद्यमों की संख्या में, निवास के भीतर उद्यमों की संख्या
- वृहद गतिविधियों वाले उद्यमों को दो अंकीय कोड देकर 24 प्रकार की क्रियाकलापों में बांटा गया है।
- पाँचवीं आर्थिक गणना (2005) में प्रयुक्त 4 अंकीय एन०आई०सी० कोड से उत्पन्न त्रुटियों को कम करने के लिए छठी आर्थिक गणना 2012–13 में 3 अंकीय एन०आई०सी० कोड प्रयुक्त किया गया है।
- हस्तशिल्प/हथकरघा उद्यमों के आँकड़े पहलीबार एकत्रित किये गये हैं।
- छठी आर्थिक गणना 2012–13 में ट्रांसजेन्डर के स्वामित्व वाले उद्यमों की गणना पहलीबार की गयी है। जिसे जेण्डर कोड ''अन्य'' के तहत सूचना एकत्र की गयी है।
- धर्मानुसार स्वामित्व वाले उद्यमों की गणना की गयी है।
- गैर–बारहमासी उद्यमों को आकस्मिक एवं मौसमी उद्यमों में विभक्त किया गया है।
- अनुसूचियों की समुचित लेखा हेतु पहली बार अनुसूचियों पर बार कोड्स एवं नम्बर अंकित किये गये हैं।

### iv. मकान एवं उद्यम अनुसूची 6A से हटाये गये मद

- सहायक गतिविधि के बारे में जानकारी (प्रमुख गतिविधि के आधार पर जानकारी एकत्र की गयी है।)
- उद्यमों की गतिविधि में प्रयुक्त शक्ति/ईंधन (उद्यमों की डायरेक्टरी अनुसूची 6C तक सीमित है।)
- पंजीकरण कोड (उद्यमों की डायरेक्टरी अनुसूची 6C तक सीमित है।)
- बाल (पुरूष/महिला) कामगारों की संख्या

### v. उद्यमों की डायरेक्टरी अनुसूची 6C में बढ़ाये गये मद

- उद्यमों में कम्प्यूटर, इंटरनेट सहित कम्प्यूटर सुविधा मौजूद है?
- वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में बिजली का उपयोग हो रहा है?
- उद्यम एक निर्यात इकाई है?
- उद्यम के शाखा कार्यालय एवं मुख्य कार्यालय का पता, पैन और टैन नम्बर के साथ
- 9 कोड के अन्तर्गत पंजीकरण की जानकारी

## 1.13 अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन/निर्णय

- भारत सरकार द्वारा सम्पन्न करायी गयी जनगणना–2011 में प्रयुक्त प्रगणन खण्डों की संख्या को ही ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में छठी आर्थिक गणना 2012–13 के सर्वेक्षण हेतु आधार बनाया गया, जबकि

पूर्व की आर्थिक गणनाओं में शहर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा नगरीय फ्रेम सर्वेक्षण ब्लाक को प्राथमिक भौगोलिक इकाइयों के रूप में लिया गया था। छठी आर्थिक गणना 2012–13 में प्रगणन खण्डों का उपयोग जनगणना–2011 के डेटाबेस से जोड़ने की सुविधा हेतु प्रगणन खण्डों एवं वार्डों को निचले भौगोलिक स्तर के रूप में प्रयोग किया गया है। जिससे छठी आर्थिक गणना 2012–13 के आँकड़ों की उपयोगिता बढ़ेगी।

- कार्यरत व्यक्तियों की गणना हेतु पाँचवीं आर्थिक गणना (2005) में पिछले साल/मौसम को सन्दर्भ अवधि लिया गया था। छठी आर्थिक गणना 2012–13 के लिए, अन्तिम कार्य दिवस पर कार्यरत व्यक्तियों की संख्या को लिया गया है।
- अनुसूचियों में प्रयुक्त शब्दों की बेहतर समझ एवं आँकड़ों का समुचित संग्रह सुनिश्चित करने के लिए प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के लिए पहली बार न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गयी है:–
  - प्रगणकों की न्यूनतम योग्यता: हायर सेकेण्डरी
  - पर्यवेक्षकों की न्यूनतम योग्यता: स्नातक
- भारत सरकार द्वारा अर्थ एवं संख्या प्रभाग के अनुरोध पर अनुमन्य की गयी व्यवस्था के अनुसार छठी आर्थिक गणना 2012–13 में प्रयुक्त की जाने वाली अनुसूची 6A के फार्म 7140000, 6B के फार्म 794000 एवं 6C के फार्म 794000 की प्रदेश में समस्त जनपदों की आवश्यकताओं के अनुरूप आपूर्ति सीधे जनपदों को केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली द्वारा की गयी है।
- प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए लेखन सामग्री का किट बैग अनुसूची 6A, 6B एवं 6C को रखने हेतु 03 प्लास्टिक फोल्डरों सहित भारत सरकार द्वारा सीधे जनपदों को उनकी आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराये गये।
- अनुसूची 6A के स्तम्भ–13 में उद्यम का प्रकार चिन्हित करने हेतु जनपद स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों से एन०आई०सी०–2008 कोडिंग का कार्य कराया गया है।
- उद्यमों की डायरेक्टरी अनुसूची 6C के पूरा पता सहित त्रुटि रहित आँकड़े, संगणक केन्द्र, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा बनाये गये साफ्टवेयर पर प्रशिक्षित कार्मिकों से फीड कराये गये।
- जनगणना–2011 में बनाये गये प्रगणन खण्डों के संक्षिप्त मकान सूची एवं नजरी नक्शा गणना कार्य के लिए आवृत्त क्षेत्र सुनिश्चित करने हेतु प्रगणकों को उपलब्ध कराये गये।
- छठी आर्थिक गणना 2012–13 के व्यापक प्रचार–प्रसार एवं जनमानस का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से अपील प्रकाशित करायी गयी।
- संग्रहीत आँकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरीय अधिकारियों द्वारा गणना कार्य का निरीक्षण किया गया, गणना द्वारा प्राप्त आँकड़ों की समीक्षा, जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकृत उद्यमों के आँकड़ों, विद्युत व्यवसायिक कनेक्शनों की संख्या एवं रा०प्र०स० 67वीं आवृत्ति के आँकड़ों के अनुमान से, उद्यमों की वृद्धि की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गयी।

### 1.14 प्रशिक्षण

छठी आर्थिक गणना 2012–13 में एकत्रित आँकड़ों की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य के रांची शहर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके प्रदेश के 04 उच्चाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। उत्तर प्रदेश में दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दो चरणों में दिनांक 15 मई, 2013 से 18 मई, 2013 के मध्य आयोजित करके समस्त मण्डलों के उप निदेशक, समस्त जनपदों के

अर्थ एवं संख्याधिकारियों एवं तकनीकी कर्मचारियों को सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण में केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के श्री सुनील जैन, उप महानिदेशक एवं डा० जितेन्द्र सिंह तोमर, उप निदेशक (आर्थिक गणना) ने भी प्रतिभाग किया।

प्रशिक्षित जिला अर्थ एवं संख्याधिकारियों द्वारा अपने–अपने जनपदों में जनपद एवं चार्ज स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर जनपद के आर्थिक गणना से सम्बद्ध समस्त अधिकारियों/चार्ज अधिकारियों/पर्यवेक्षकों एवं प्रगणकों को गणना में प्रयुक्त होने वाली परिभाषाओं तथा अवधारणाओं से भिज्ञ कराते हुए विधिवत् प्रशिक्षण देकर उन्हें व्यवहारिक पूर्वाभ्यास के साथ गणना कार्य हेतु भली–भाँति प्रशिक्षित किया गया।

## राज्य स्तरीय प्रशिक्षण फोटोग्राफ

राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में उपस्थित प्रतिभागी अधिकारी

डा० सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक (आर्थिक गणना), डा० जे०एस० तोमर, उप निदेशक, श्री सुनील जैन, उप महानिदेशक, सी.एस.ओ., भारत सरकार, श्री भुवनेश कुमार, सचिव नियोजन, उ०प्र० शासन, श्री प्रेम नारायण, निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ०प्र०, श्री गिरजा शंकर कटियार, संयुक्त निदेशक एवं श्री जयराम राम, संयुक्त निदेशक

डा० सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, अपर निदेशक (आर्थिक गणना),
श्री सुनील जैन, उप महानिदेशक, सी०एस०ओ०, भारत सरकार

## 1.15 आर्थिक गणना सेल

समयबद्ध तरीके से इस राष्ट्रव्यापी कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश में आर्थिक गणना सेल गठित करने के लिये निम्न प्रकार पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी। यद्यपि प्रदेश स्तर पर स्वीकृति पदों के सापेक्ष पदों का सृजन नहीं किया गया तथा अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश में तैनात कार्मिकों से ही आर्थिक गणना कार्य संपादित कराया गया–

| क्र० सं० | पदनाम | पदों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | संयुक्त निदेशक | 1 |
| 2 | अर्थ एवं संख्याधिकारी | 1 |
| 3 | अपर सांख्यिकीय अधिकारी | 7 |
| 4 | वरिष्ठ आशुलिपिक | 1 |
| 5 | कनिष्ठ सहायक | 1 |
| **योग** | | **11** |

## 1.16 प्रचार एवं प्रसार

भारत सरकार द्वारा आर्थिक गणना कार्य के व्यापक प्रचार–प्रसार करने के अतिरिक्त प्रभाग द्वारा भी प्रदेश के दैनिक प्रमुख समाचार पत्रों में हिन्दी संस्करण–अमर उजाला एवं दैनिक जागरण, अंग्रेजी संस्करण के हिन्दुस्तान एवं टाइम्स ऑफ इण्डिया एवं उर्दू संस्करण के राष्ट्रीय सहारा (उर्दू) के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से गणना कार्य में जनमानस का सहयोग प्राप्त करने के लिए अपील प्रकाशित करायी गयी। जनपद स्तर पर भी इसके प्रचार–प्रसार हेतु यथासम्भव प्रयास सुनिश्चित कराये गये।

## 1.17 क्षेत्रीय संकार्य

प्रदेश के समस्त 71 जनपदों में स्थित 316 तहसीलों एवं 822 विकास खण्डों के 97,814 आबाद ग्राम एवं 8,960 गैर आबाद ग्राम तथा कुल 1,06,774 राजस्व ग्राम, 915 नगरों के प्रत्येक परिवार/प्रतिष्ठान से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके प्रदेश में छठी आर्थिक गणना 2012–13 का सर्वेक्षण कार्य मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आर्थिक गणना स्टीयरिंग एण्ड मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा 15 जून 2013 से 15 जुलाई 2013 तक निर्धारित किया गया, किन्तु बाढ़ एवं अन्य स्थानीय समस्याओं के कारण शत–प्रतिशत गणना कार्य दिनांक 31.08.2013 को पूर्ण किया गया।

सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम–2008 के रीति विधानों का छठी आर्थिक गणना 2012–13 में अनुपालन हेतु गणना कार्य के समय प्रचार एवं प्रसार कराया गया, जिससे जनसहयोग देने के लिए लोग जागरूक थे। इसलिए जनसहयोग के माध्यम से सूचनाएं एकत्र करने में पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुआ, यद्यपि एक्ट के अनुसार कोई कार्यवाही हेतु विपरीत तथ्य प्रकाश में नहीं आया।

### 1.18 ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रगणन खण्डों का निर्धारण तथा कार्मिकों की नियुक्ति

प्रदेश में गणना कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा 4,00,925 सूचित प्रगणन खण्ड़ों के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा सम्पन्न करायी गयी जनगणना–2011 में प्रयुक्त प्रगणन खण्डों की संख्या को ही छठी आर्थिक गणना 2012–13 के सर्वेक्षण हेतु ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र के लिए आधार बनाया गया। जिसके दृष्टिगत निदेशक, जनगणना कार्य, उ.प्र. द्वारा 3,94,651 प्रगणन खण्ड़ों के संक्षिप्त मकान सूची (Abridged Household List) एवं नजरी नक्शे (Layout Maps) उपलब्ध कराया गया। जिसके आधार पर गणना कार्य करते समय स्थलीय भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 3,95,223 प्रगणन खण्ड बनाकर गणना कार्य कराया गया। सर्वेक्षण का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों (शिक्षामित्रों/आँगनबाड़ी कार्यकत्री, ग्राम्य विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी) में कार्यरत कर्मचारियों एवं शिक्षित बेरोजगार एवं स्वयं सहायता समूह को सम्मिलित करते हुए 1,25,917 प्रगणकों एवं 59,018 पर्यवेक्षकों तथा 1,598 चार्ज अधिकारियों के सहयोग से सम्पन्न कराया गया। यद्यपि आर्थिक गणना जनगणना–2011 के फ्रेम आधार पर कराये जाने के निर्देश थे। अतएव प्रदेश के 71 जनपद एवं 18 मण्डल को ही आधार बनाया गया। जनपद स्तर पर समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारी तथा मण्डलीय उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या)/संयुक्त निदेशक/अपर निदेशक, प्रभाग मुख्यालय के अथक परिश्रम से इस कार्य की सफलता सुनिश्चित करायी जा सकी।

### 1.19 प्रयुक्त अनुसूचियाँ

भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्थाओं के अनुसार छठी आर्थिक गणना 2012–13 में प्रयुक्त की जाने वाली अनुसूची 6A, 6B एवं 6C की प्रदेश में समस्त जनपदों की आवश्यकताओं के अनुरूप सीधे जनपदों को केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार द्वारा आपूर्ति की गयी है।

### 1.20 आंकड़ों की गुणवत्ता

छठी आर्थिक गणना 2012–13 के सर्वेक्षण में संग्रहीत आँकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरीय अधिकारियों (सी०एस०ओ०, भारत सरकार के अधिकारी तथा प्रभाग के उच्च अधिकारी/मण्डलीय उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या) एवं जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी) द्वारा गणना कार्य का निरीक्षण किया गया, जो निम्नवत हैं–

| निरीक्षण से सम्बद्ध अधिकारियों का विवरण | निरीक्षणों की संख्या |
|---|---|
| केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार | 10 |
| अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ०प्र० (मुख्यालय) | 75 |
| संयुक्त निदेशक, नोडल अधिकारी, आर्थिक गणना | 14 |
| मण्डलीय उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या) | 77 |
| जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी | 123 |
| जनपद स्तर पर तैनात सहायक सांख्यिकीय अधिकारी/अपर सांख्यिकीय अधिकारी | 125 |
| **योग** | **388** |

केंद्र के दूत ने देखी आर्थिक गणना की हकीकत

बदायूं : सहायक निदेशक आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार श्रीसुस्मित ने जिले में चल रही आर्थिक गणना के कार्यों का निरीक्षण किया। छोटी-मोटी खामियों को मौके पर ही दुरुस्त करवाया। शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गणना की स्थिति पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया।

केंद्र सरकार की ओर से छोटी मोटी दुकानों से लेकर फैक्ट्रियों तक आंकड़ा एकत्रित करने के लिए आर्थिक गणना कराई जा रही है। इसमें संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में चल रहे विभिन्न उद्यमों, क्रिया कलापों की सूचना पर सरकार द्वारा एकत्र कराई जा रही है। एकत्र इन सूचनाओं का प्रयोग सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के निर्माण में किया जाता है। सर्वेक्षण में बड़ी-बड़ी फैक्ट्री से लेकर छोटी-मोटी चाय की दुकान तक की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर एकत्र की जा रही है। सरकार द्वारा डेटा संग्रहण के लिए स्टैटिक्स कलैक्शन एक्ट 2008 लागू किया है, जिसके अंतर्गत सूचना न देने पर जुर्माने आदि का प्रावधान है। जिले में गणना का कार्य जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय द्वारा कराया जा रहा है।

सहायक निदेशक ने नगरीय क्षेत्र में खेड़ा नफादा एवं विकास भवन के समीप स्थित प्रगणन खंडों का निरीक्षण किया। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में प्रगणक खंड संख्या 757 व 758 ग्राम विशनपुरी विकास खंड म्याऊं के सर्वेक्षण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण का उद्देश्य प्रगणकों द्वारा किए गए सर्वेक्षण में एकत्र किए गए डेटा की शुद्धता की जांच एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है। श्रीसुस्मित ने इन प्रगणन खंडों में स्थित परिवारों व उद्यमों में मौके पर जाकर प्रगणक द्वारा भरी गई सूचना की विस्तृत जांच की जिनमें अधिकांश सूचनाएं ठीक पाई गई। प्रगणक द्वारा की गई छोटी-मोटी त्रुटियों को सुधार मौके पर कराया गया। ग्राम विशनपुरी में स्थित विभिन्न दुकानों, परिवारों व उद्यमों का निरीक्षण किया गया। भरी गई अनुसूची 6ए की जांच मौके पर की गई। भरी गई सूचनाएं ठीक पाई गई। ग्राम में रामदीन व रुस्तम की परचूनी की दुकान, रामसिंह उचित दर विक्रेता की दुकान, आंगनबाड़ी एवं विदलेश कुमार जीप चालक के उद्यम का सत्यापन किया गया जो सही पाया गया। श्रीसुस्मित के साथ जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी जोगेंद्र सिंह यादव एवं संख्याधिकारी कार्यालय के अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे।

- छोटी-मोटी गलतियों को मौके पर कराया सुधार
- फैक्ट्री से लेकर चाय की दुकान तक का आंकड़ा

प्रगणन खंड का निरीक्षण करते सहायक निदेशक आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग श्रीसुस्मित।

उपरोक्त के अतिरिक्त आँकड़ों की समीक्षा जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकृत उद्यमों के आँकड़े, विद्युत व्यवसायिक कनेक्शनों की संख्या एवं रा०प्र०स० 67वीं आवृत्ति के आँकड़ों के अनुमान से उद्यमों की वृद्धि की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गयी।

## 1.21 आँकड़ों का विधायन

सी०एस०ओ०, भारत सरकार के निर्देशानुसार श्री दीपक अरोड़ा, प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स एच०सी०एल०, इन्फोसिस्टम, फरीदाबाद (हरियाणा) के पक्ष में प्रदेश के सभी जनपदों से निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुरूप अनुसूची 6A की पैकेटिंग कराकर स्कैनिंग हेतु उठान कराया गया था। उक्त स्कैनिंग कार्य पूर्ण होने के पश्चात् वर्ण पहचान प्रौद्योगिकी (आई०सी०आर०–इमेज करैक्टर रिकॉग्नीशन) के माध्यम से एक्सेल सीट में आँकड़ों को ट्रान्सफर करते हुए उनके द्वारा सूचित की गयी त्रुटियों का निराकरण सम्बन्धित जनपदों द्वारा कराया गया। त्रुटियों का निराकरण करने के पश्चात् भारत सरकार द्वारा अन्तिम तालिकाएं तैयार कर उपलब्ध करायी गयी है। जिनके आधार पर रिपोर्ट तैयार की गयी है।

## 1.22 आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण

छठी आर्थिक गणना 2012–13 के अन्तर्गत (फसल उत्पादन, वृक्षारोपण, लोक प्रशासन, रक्षा और अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की गतिविधियों को छोड़कर) सभी प्रकार के उद्यमों की गणना की गयी है। इन उद्यमों को एन०आई०सी०–2008 में उद्यमों से सम्बन्धित 3–अंकीय कोड देकर उद्यम के प्रकार को चिन्हित किया गया है।

## 1.23 छठी आर्थिक गणना 2012–13 के आँकड़ों का उपयोग

- छठी आर्थिक गणना के आँकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 73वें दौर के फ्रेम को तैयार करने में उपयोग किया गया है।
- छठी आर्थिक गणना में 10 या उससे अधिक कार्यरत व्यक्तियों के उद्यमों को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 74वें दौर में सेवा क्षेत्र के सर्वेक्षण में सूची फ्रेम तैयार किया जाना प्रस्तावित है।
- छठी आर्थिक गणना के आँकड़ों को राष्ट्रीय व्यापार रजिस्टर के विकास में इस्तेमाल किया जाता है।
- छठी आर्थिक गणना के आँकड़ों को राष्ट्रीय व्यवसाय केन्द्रों के विकास के लिए श्रम एवं रोज़गार

मंत्रालय द्वारा सर्वेक्षण होना प्रस्तावित है तथा छठी आर्थिक गणना के आँकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा बाद में कराये जाने वाले अनुवर्ती सर्वेक्षणों के लिए उपयोगी होंगे और अन्य सर्वेक्षण/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम०एस०एम०ई०) की गणना तथा राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रमों के क्षेत्रों को पहचानने में भी मदद मिलेगी।

### 1.24 छठी आर्थिक गणना 2012–13 की सीमाएं

- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार जाति आधारित जनगणना का कार्य सम्पन्न होने के दो माह बाद छठी आर्थिक गणना सम्पन्न कराने के निर्देश थे। अतएव तद्नुसार प्रदेश में छठी आर्थिक गणना 2012–13 का गणना कार्य माह जून, 2013 से अगस्त, 2013 के मध्य सम्पन्न कराया गया।
- आँकड़ों का संग्रहण सामान्यतया जनसामान्य से प्राप्त मौखिक सूचना के आधार पर किया गया है।
- गणना में शिक्षकों की उपलब्धता न होने के कारण गणना कार्य, सरकारी कर्मचारियों एवं शिक्षित बेरोजगार युवकों को लगाकर कराया गया है।
- छठी आर्थिक गणना 2012–13 जैसे वृहद कार्य को सम्पन्न कराने एवं उद्यमों के आँकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु अनुसूचियों में यथावश्यक परिवर्तन किये गये हैं।